

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-02, मुरादाबाद,

उपस्थित— कृष्ण कुमार सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(I.D. No.-U.P. 6386)

सत्र परीक्षण सं०-1053/2020

राज्य

अभियोगी

बनाम

मौ० वसी पुत्र मौ० यासीन, निवासी-रहमत नगर, गली नं०-05, सुनहरी मस्जिद के पास, थाना-कटघर, जनपद-मुरादाबाद,

अभियुक्त

अपराध सं०-918/2019,
धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट,
थाना-कटघर, जनपद-मुरादाबाद,

निर्णय

1. अभियुक्त मौ० वसी का परीक्षण, मुकदमा अपराध संख्या-918/2019, सत्र परीक्षण संख्या-1053/2020, धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना-कटघर, जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् उक्त प्रकरण का विचारण प्रारम्भ हुआ।

अभियोजन कथानक-

2. वादी मुकदमा उ०नि० उम्मेद सिंह पोसवाल द्वारा सम्बन्धित थाना में दी गयी तहरीर/फर्द बरामदगी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि-

दिनांक 03.12.2019 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक उम्मेद सिंह पोसवाल पुलिस बल के साथ रपट नंबर-95 समय 20:47 बजे थाने से रवाना होकर शान्ति व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त था। इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ज्यारत के पीछे डेहर के पास तीन व्यक्ति चरस व स्मैक बेच रहे हैं। इस सूचना पर आर.टी. सैट से लैपर्ड कर्मचारी कॉ० गौरव कुमार, कॉ० सोनू कुमार को अपने साथ तलब किया गया और मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये गये स्थान पर दबिश देकर समय करीब 21:40 बजे तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इन पकड़े गये व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो तीनों माँफी माँगने लगे और उन्होंने बताया कि उनके पास चरस व स्मैक है और वह यहाँ पर खड़े होकर नशा करने वाले व्यक्तियों को उसे बेचते हैं। इसी चरस व स्मैक को बेचने के लिए वह यहाँ पर आये थे। पकड़े गये व्यक्तियों को धारा-50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी लिवाने के लिए अवगत कराया गया। तीनों ने तलाशी के लिए अपनी सहमति दे दी। मौके पर सहमति पत्र तैयार किया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर कराये गये। चरस व स्मैक बेचने का लाइसेंस तलब किया

गया, जिसे अभियुक्तगण दिखाने में असफल रहे। पहले व्यक्ति की जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम मो० वशी पुत्र मो० यामीन बताया। उसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से सफेद रंग की पिन्नी में लिपटी हुई बत्तीनुमा काले रंग की चरस बरामद हुई, जिसे मौके पर तोला गया, जिसका कुल वजन 505 ग्राम निकला तथा उसके कब्जे से 13,660/- रु० बरामद हुए। दूसरे व्यक्ति का नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम राहत जान पुत्र मौ० मिया जान बताया। उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से सफेद रंग की पिन्नी में लिपटी हुई बत्तीनुमा काले रंग की चरस बरामद हुई, जिसको मौके पर तोला गया, जिसका वजन 515 ग्राम पाया गया तथा उसके कब्जे से चरस की बिकी के 1830/- रु० बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुशीर बताया। उसके कब्जे से 3.96 ग्राम स्मैक बरामद हुई। एक स्कूटी अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुई। जिसके कोई कागजात अभियुक्तगण दिखाने में असफल रहे। स्कूटी का चालान धारा-207 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत किया गया। मौके पर फर्द तैयार की गयी और मुकदमा कायम कराया गया।

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना-कटघर, जिला-मुरादाबाद में मुकदमा अपराध सं०-918/2019, धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मौ० वसी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई, जिसका खुलासा जी.डी. में किया गया।

विवेचना-

4. प्रकरण की विवेचना विवेचक द्वारा सम्पादित की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया, सहमति पत्र बनाया गया, अभियुक्त का गिरफ्तारी मीमो बनाया गया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गयी व अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त मौ० वसी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण में आरोप पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्त को तलब कर उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-207 के अन्तर्गत आवश्यक प्रपत्र दिये गये।

आरोप-

6. प्रकरण प्राप्त होने पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, द्वारा अभियुक्त मौ० वसी के विरुद्ध एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा-8/20 के अन्तर्गत दिनांक 02.01.2021 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा परीक्षण की याचना की गयी।

अभियोजन साक्ष्य (मौखिक)-

7. अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित 01 साक्षी को परीक्षित कराया गया-

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
पी0डब्लू0-1	कां0 शेर सिंह

8. तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया।
9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये—
अभियोजन साक्ष्य (अभिलेखीय)—

क्रम सं०	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शकर्ता/तस्दीककर्ता का नाम	प्रदर्श संख्या
1	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0-1 कां0 शेर सिंह	<u>प्रदर्श क-1</u>
2	कायमी मुकदमा जी0डी0	पी0डब्लू0-1 कां0 शेर सिंह	<u>प्रदर्श क-2</u>
3	आरोप पत्र	पी0डब्लू0-1 कां0 शेर सिंह	<u>प्रदर्श क-3</u>
4	फर्द बरामदगी	पी0डब्लू0-1 कां0 शेर सिंह	<u>प्रदर्श क-4</u>
5	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0-1 कां0 शेर सिंह	<u>प्रदर्श क-5</u>

10. अभियुक्त **मौ० वसी** का स्वीकारोक्ति का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कथन किया गया कि उसके विरुद्ध विरचित आरोप सही है। वह अपना जुर्म बिना किसी भय व दबाव के अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहा है। उससे गलती हो गई है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को साबित करने हेत कुल 01 साक्षी कां० शेर सिंह को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से प्रस्तुत प्रकरण की चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क-1**, कायमी मुकदमा जी0डी0 को **प्रदर्श क-2**, आरोप पत्र को **प्रदर्श क-3**, फर्द बरामदगी को **प्रदर्श क-4** व नक्शा नजरी घटनास्थल को **प्रदर्श क-5** के रूप में साबित किया है।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया, तदनुसार निष्कर्ष निम्न प्रकार है—

निष्कर्ष

13. प्रस्तुत के तथ्यों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के प्रकाश में न्यायालय को अन्तर्गत **धारा-354ख दण्ड प्रक्रिया संहिता**, निम्न बिन्दु पर विचार करना है—

क्या दिनांक 03.12.2019 को समय 21:40 बजे, थाना-कटघर, जिला-मुरादाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, स्थान-ज्यारत के पीछे डेहर के पास से आपको गिरफ्तार किया गया तथा आपके कब्जे से 505 ग्राम चरस बरामद की गयी, जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था, जो कि **एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा-8/20** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ?

14. वादी मुकदमा उ०नि० उम्मेद सिंह पोसवाल द्वारा सम्बन्धित थाने पर दी गयी

तहरीर के अनुसार दिनांक 03.12.2019 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक उम्मेद सिंह पोसवाल पुलिस बल के साथ रपट नंबर-95 समय 20:47 बजे थाने से रवाना होकर शान्ति व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त था। इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ज्यारत के पीछे डेहर के पास तीन व्यक्ति चरस व स्मैक बेच रहे हैं। इस सूचना पर आर.टी. सैट से लैपर्ड कर्मचारी कॉ० गौरव कुमार, कॉ० सोनू कुमार को अपने साथ तलब किया गया और मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये गये स्थान पर दबिश देकर समय करीब 21:40 बजे तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इन पकड़े गये व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो तीनों माँफी माँगने लगे और उन्होंने बताया कि उनके पास चरस व स्मैक है और वह यहाँ पर खड़े होकर नशा करने वाले व्यक्तियों को उसे बेचते हैं। इसी चरस व स्मैक को बेचने के लिए वह यहाँ पर आये थे। पकड़े गये व्यक्तियों को धारा-50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी लिवाने के लिए अवगत कराया गया। तीनों ने तलाशी के लिए अपनी सहमति दे दी। मौके पर सहमति पत्र तैयार किया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर कराये गये। चरस व स्मैक बेचने का लाइसेंस तलब किया गया, जिसे अभियुक्तगण दिखाने में असफल रहे। पहले व्यक्ति की जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम मो० वशी पुत्र मो० यामीन बताया। उसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से सफेद रंग की पिन्नी में लिपटी हुई बत्तीनुमा काले रंग की चरस बरामद हुई, जिसे मौके पर तोला गया, जिसका कुल वजन 505 ग्राम निकला तथा उसके कब्जे से 13,660/- रु० बरामद हुए। दूसरे व्यक्ति का नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम राहत जान पुत्र मौ० मिया जान बताया। उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से सफेद रंग की पिन्नी में लिपटी हुई बत्तीनुमा काले रंग की चरस बरामद हुई, जिसको मौके पर तोला गया, जिसका वजन 515 ग्राम पाया गया तथा उसके कब्जे से चरस की बिकी के 1830/-रु० बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुशीर बताया। उसके कब्जे से 3.96 ग्राम स्मैक बरामद हुई। एक स्कूटी अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुई। जिसके कोई कागजात अभियुक्तगण दिखाने में असफल रहे। स्कूटी का चालान धारा-207 एम.वी.एक्ट के अन्तर्गत किया गया। मौके पर फर्द तैयार की गयी और मुकदमा कायम कराया गया।

15. वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना-कटघर, मुरादाबाद में अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ, जिसका खुलासा जी०डी० में किया गया।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मौ० वसी द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र द्वारा जेलर, जिला जेल, मुरादाबाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह अपराध सं०-918/2019, धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना-कटघर, जिला-मुरादाबाद में दिनांक 13.07.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह अत्यंत गरीब बेसहारा व्यक्ति है। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर उसे कम-से-कम दण्ड से दण्डित कर वाद का निस्तारण किया जाए।

17. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मौ० वसी ने अपने द्वारा कारित किये गये अपराध की अभिस्वीकृति की है। अपने अपराध की स्वीकृति के सम्बन्ध में

अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि वह अत्यंत गरीब बेसहारा व्यक्ति है। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप सही है एवं वह अपनी स्वेच्छा से बिना किसी डर व दबाव के अपने जुर्म की संस्वीकृति कर रहा है। वह अपनी इच्छा से व बिना दबाव के अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम अभियुक्त दिनांक 03.12.2019 से दिनांक 10.02.2020 तक अर्थात् 02 माह व 07 दिन, दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 01.12.2022 तक अर्थात् 02 माह व 17 दिन तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा। वर्तमान में अभियुक्त दिनांक 31.07.2025 अब तक जिला कारागार में निरुद्ध है। इस प्रकार, अभियुक्त लगभग **12 माह व 17 दिन** तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा है।

18. न्यायालय द्वारा अभियुक्त मौ0 वसी द्वारा योजित जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र व उसका जुर्म स्वीकारोक्ति बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किये जाते समय अभियुक्त से सर्वप्रथम यह पूछा गया कि क्या वह अपना जुर्म बिना किसी भय व दबाव के अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहा है, तब अभियुक्त द्वारा उत्तर दिया गया कि जी हां, मैं अपनी इच्छा से व बिना दबाव के अपना जुर्म इकबाल कर रहा हूं। न्यायालय द्वारा अभियुक्त से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको पता है कि आपकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आपको प्रस्तुत प्रकरण में दण्डित किया जा सकता है, तो अभियुक्त ने उत्तर दिया कि जी हां, मुझे जानकारी है। अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि मुझसे गलती हो गयी है।

19. चूंकि अभियुक्त द्वारा स्वयं अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 में भी अपना जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त को बताया गया कि विधि अनुसार उस पर अपने जुर्म इकबाल किये जाने के लिए किसी प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता है। यह भी अवगत कराया गया कि उसके जुर्म इकबाल किये जाने के फलस्वरूप उसको विधि द्वारा उपबन्धित कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है एवं अभियुक्त अपने जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर वापस भी ले सकता है। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह स्वेच्छा तथा बिना किसी दबाव के जुर्म स्वीकारोक्ति करना चाहता है तथा उसने अपराध स्वीकृति के परिणाम के विषय में भली-भांति सोच-समझ लिया है। प्रकरण में पी0डब्लू0-1 कां0 शेर सिंह द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में अभियोजन कथानक को भली-भांति साबित किया गया है।

20. उपरोक्त समस्त विवेचनोपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त मौ0 वसी के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत **धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** को युक्तियुक्त ढंग से व संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त मौ0 वसी अन्तर्गत **धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के

अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मौ० वसी को धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त पूर्व से न्यायिक हिरासत में जिला-कारागार, मुरादाबाद में निरुद्ध है। अभियुक्त को दण्ड की अवधि पर सुने जाने के लिए पत्रावली कुछ समय उपरान्त पेश हो।

दिनांक-06.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(ID No.-U.P. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-02, मुरादाबाद

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई। अभियुक्त मौ० वसी न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को कम-से-कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त से 505 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को अधिक-से-अधिक दण्ड से दण्डित किया जाए।

प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में भी अपना जुर्म स्वीकार किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त लगभग 12 माह व 17 दिन तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध की प्रकृति व उसके जुर्म स्वीकार करने के तथ्यों के दृष्टिगत अभियुक्त मौ० वसी को धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत 1 वर्ष व 01 माह के कारावास व मुव० 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड (अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 05 दिन के अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया जाना न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या-918/2019, सत्र परीक्षण संख्या-1053/2020, सरकार बनाम मौ० वसी में अभियुक्त मौ० वसी को धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अपराध में 1 वर्ष व 01 माह के कारावास व मुव० 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड (अर्थदण्ड न

देने की स्थिति में 05 दिन के अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में व्यतीत की गई अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित होगी।

अभियुक्त का सजायापती वारन्ट तैयार कर, सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जाए।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक-06.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(ID No.-U.P. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-02, मुरादाबाद

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित, हस्ताक्षरित व उद्घोषित किया गया।

दिनांक-06.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(ID No.-U.P. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-02, मुरादाबाद